

प्रेषक,

अजय कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 26 अप्रैल, 2023

विषय : उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में निर्माण एवं विकास कार्य हेतु Uttar Pradesh Development Authorities Development and Construction Manual (Works Manual) लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 के पत्र संख्या-829/आठ-5-23-83विविध/14, दिनांक 25.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में निर्माण एवं विकास कार्य हेतु Uttar Pradesh Development Authorities Development and Construction Manual (Works Manual) लागू किये जाने के सम्बन्ध में सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.04.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी), भूतल स्थित उनके कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत करने की सूचना से अवगत कराया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी है। बैठक हेतु आगामी तिथि/समय से पृथक से अवगत कराया जायेगा।

भवदीय,

(अजय कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या : 836 (1)/आठ-5-23-83विविध/14, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- (1) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- (2) उपाध्यक्ष, लखनऊ/गाजियाबाद/कानपुर/आगरा/मेरठ विकास प्राधिकरण।
- (3) निदेशक, आवास बन्धु लखनऊ।
- (4) श्री चक्रेश जैन, मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष, वर्क मैनुअल समिति।
- (5) श्री अवधेश कुमार तिवारी, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण/सदस्य, वर्क मैनुअल समिति।
- (6) श्री दीपक सिंह, वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण/सदस्य, वर्क मैनुअल समिति।

आज्ञा से

(अजय कुमार मिश्र)
अनु सचिव।